संख्या:175/2026/1301/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 24 अगस्त, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-80/2026/553/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं शासनादेश संख्या-102/2026/592(1)/35-4-2026/35-4002(003)/30/2026, दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद गाजियाबाद में कार्यों की स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्र सं0-913/त्व0आ0वि0यो0/स0मार्ग /2026-27 दिनांक 01.07.2026 के माध्यम से उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्यों में से 08 कार्यों के सी०सी० रोड परिवर्तित किये जाने हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से निम्नतालिका के 05 कार्यों के नाम को कालम-4 के अनुसार संशोधित किये जाने एवं उनकी लागत को कालम-7 में अंकित धनराशि के अनुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(रू. लाख में)

क्रं	शासनादेश सं-80/2026/553/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026 दिनांक 31.03.2026 के अनुसार विवरण		संशोधित नाम	लम्बाई (मी0)	पूर्व में अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत
	शासनादेश का क्रं0	स्वीकृत कार्य का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
1	23	वार्ड-60 में बालाजी एन्कलेव में जी०टी० रोड से प्लॉट नं0-522 तक एवं प्लॉट-11 से आई एम ई कॉलिज की दीवार तक काली सडक निर्माण कार्य एवं सजय पान वाले से बालाजी होम्स तक एवं विक्रांत के घर से श्यामराज तक इंटरलॉकिंग टाईल्स की सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	वार्ड-60 में बालाजी एन्कलेव जी०टी० रोड से प्लॉट नं0-522 तक एवं प्लॉट-11 से आई0 एम0 ई0 कॉलिज की दीवार तक सी०सी० रोड सड़क एवं संजय पान वाले से बालाजी होम्स तक तथा विक्रांत के घर से श्यामराज तक इंटरलॉकिंग टाईल्स की सडक एव नाली निर्माण कार्य।	489	63.45	63.35
2	26	वार्ड-74, सेक्टर-19 बसुन्धरा में शांतम एवं सुन्दरम खण्ड में काली सडक निर्माण कार्य।	वार्ड-74, सेक्टर-19 बसुन्धरा में शांतम एवं सुन्दरम खण्ड में सी०सी० द्वारा सडक निर्माण कार्य।	1278	58.51	58.41
3	27	वार्ड-49, नन्दग्राम में सी एवं ए	वार्ड-49, नन्दग्राम में सी. एवं ए	500	158.36	158.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		ब्लॉक के बीच खाटू श्याम मंदिर से परशुराम चौक तक काली सडक निर्माण कार्य।	ब्लॉक के बीच खाटू श्याम मंदिर से परशुराम चौक तक सी०सी० द्वारा सडक निर्माण कार्य			
4	**28**	वार्ड-72 में सनवैली स्कूल से पी ए सी के गेट नंबर 5 तक काली सडक का निर्माण कार्य ।	वार्ड-72 में सनवैली स्कूल से पी.ए.सी. के गेट नंबर-05 तक सी०सी० सडक निर्माण कार्य।	**320**	**17.24**	**17.21**
		शासनादेश सं0 102/2026/592(1)/ 35-4-2026/35-4002(003)/30/2026 दिनांक 31.03.226 के अनुसार विवरण				
5	**62**	जनपद गाजियाबाद के नंदग्राम में राजकीय इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार से राजकीय इंटर कॉलेज एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक के संपर्क मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य	जनपद गाजियाबाद के नंदग्राम में राजकीय इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार से राजकीय इंटर कॉलेज एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक सी०सी० द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	**490**	**71.47**	**71.36**

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 31 मार्च, 2026 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को अनुवर्ती किश्त के रूप में आंकलित/समायोजित किया जायेगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 31 मार्च, 2026, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:175/2026/1301(1)/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद गौतमबुद्धनगर ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर ।
14- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर
15- गार्ड फाईल।

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।